

विभागवार जिले से वीडियो कांफेसिंग की समय सारिणी वर्ष 2018

क्र.	विभाग का नाम	माहवार वीडियो कांफेसिंग की तिथि (दर्शाये अनुसार प्रति दिन दोपहर 2 बजे से)											
		जनवरी 18	फरवरी 18	मार्च 18	अप्रैल 18	मई 18	जून 18	जुलाई 18	अगस्त 18	सित. 18	अक्टू. 18	नव. 18	दिस. 18
1	सामान्य प्रशासन विभाग एवं जन शिकायत निवारण, वॉस रूत्रीय कार्यान्वयन विभाग	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1
2	गृह विभाग (पुलिस), जेल एवं परिवहन	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	2	3
3	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास विभाग	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4
4	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5
5	वन विभाग	5	6	6	6	5	6	6	6	6	5	6	6
6	वित्त, वार्षिक कर (दोपहर 2 से 4 बजे तक), योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (दोपहर 4 से 5 बजे तक)	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	9	7
7	वाणिज्य, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग एवं ग्रामोद्योग विभाग	8	8	8	9	8	8	9	8	10	8	12	10
8	नगरीय विकास विभाग	9	9	9	10	9	11	10	9	11	9	13	11
9	स्वादा, नागरिक आपूर्ति एवं उम्भोक्ता संरक्षण विभाग (दोपहर 2 से 4 बजे तक), श्रम विभाग (दोपहर 4 से 5 बजे तक)	10	12	12	11	10	12	11	10	12	10	14	12
10	जल संसाधन एवं आयाकट विभाग	11	13	13	12	11	13	12	13	14	11	15	13
11	कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, पशुधन विकास एवं मछलीपालन विभाग	12	15	14	13	12	14	13	14	17	12	16	14
12	आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग	15	16	15	16	15	15	16	16	18	15	19	17
13	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग	16	19	16	17	16	18	17	17	19	16	20	19
14	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	17	20	19	18	17	19	18	20	20	18	22	20
15	आवास पर्यावरण एवं पर्यावरण (दोपहर 2 से 4 बजे तक), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सू प्रौ विभाग (दोपहर 4 से 5 बजे तक)	18	21	20	19	18	20	19	21	22	22	24	21
16	लोक निर्माण विभाग	19	22	21	20	19	21	20	23	24	23	26	22
17	उच्च शिक्षा, (दोपहर 2 से 3 बजे तक) कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (दोपहर 3 से 5 बजे तक)	22	23	22	23	22	22	23	24	25	24	27	24
18	स्कूल शिक्षा विभाग (दोपहर 2 से 4 बजे तक), पर्यटन, संस्कृति, खेल एवं युवक कल्याण विभाग (दोपहर 4 से 5 बजे तक)	23	24	23	24	23	23	24	25	26	25	28	25
19	जनसम्पर्क विभाग	24	26	24	25	24	25	25	27	27	26	29	26
20	समाज कल्याण (दोपहर 2 से 3 बजे तक), महिला एवं बाल विकास विभाग (दोपहर 3 से 5 बजे तक)	25	27	26	26	25	26	26	28	28	29	30 (2-3 PM)	27
21	ऊर्जा विभाग	27	28 (2-3 PM)	27	27	27	27	27	29	29 (2-3 PM)	30	30 (3-4 PM)	28
22	सहकारिता विभाग	29	28 (3-4 PM)	28	28 (2-4 PM)	29	29	28	30	29 (3-4 PM)	31 (2-4 PM)	30 (4-5 PM)	29
23	खनिज साधन विभाग	30	28 (4-5 PM)	31	28 (4-5 PM)	30	30	30	31	29 (4-5 PM)	31 (4-5 PM)		31

OSD